

परिपत्र क्रमांक योजना / 2015-16 / 28 दिनांक 25.03.2016

अनुलग्नक 'ब'

सेवा प्रभार : अग्रिम खंड(ADVANCE)

क्र.	मद	वर्तमान में लागू सेवा प्रभार (संदर्भ परिपत्र क्रमांक अग्रिम /2/2012/13 दिनांक 1/11/2012 एवम् परिपत्र क्रमांक अग्रिम/6/2014-15 दिनांक 24/06/2014)	प्रस्तावित { सेवाकर सहित (ST) 14.50% }
1.1	निरीक्षण शुल्क: SGSY/PMEGP एवं अन्य शासकीय योजना के समस्त ऋण	अ) रु 200000/- रु दो लाख तक व्यक्तिगत ऋण:- निरंक ब) रु. 200000/- से अधिक योजना अनुसार	यथावत
1.2	कृषि ऋण, सेवा ऋण व्यवसाय, उद्योग, परिवहन चालन, शीत गृह निर्माण, भंडार गृहनिर्माण आदि समस्त ऋण (तरल प्रतिभूति के विरुद्ध मांग ऋण ओडी लिमिट वेयर हाउस रसीदों के विरुद्ध मांग ऋण छोड़कर)	अ) रु.25000/- तक:- निरंक ब) रु. 25001/- से रु. 200000/- तक रु. 500/- प्रति वर्ष स) रु. 200000/- से अधिक या उसके किसी अंश पर रु. 250/- प्रति लाख प्रति वर्ष अधिकतम रु. 10000/-	अ) रु.25000/- तक:- निरंक ब) रु. 25001/- से रु. 200000/- तक रु. 500.00 प्रति वर्ष + सेवाकर स) रु. 200000/- से अधिक या उसके किसी अंश पर रु. 250/- प्रति लाख प्रति वर्ष + सेवाकर अधिकतम रु. 10000/- + सेवाकर
1.3	स्व सहायता समूह	अ) रु. 1000000/- (रु. दस लाख तक) शासकीय योजनान्तर्गत समूह को दिये ऋण :- निरंक ब) रु. 1000000/- से अधिक योजना अनुसार	यथावत

2	प्रोसेसिंग प्रभार/ मूल्यांकन शुल्क S.I.B-AGRI. एवं C&I खंड हेतु (वैयक्तिक ऋण P-SEGEMENT को छोड़कर)		
2.1	बैंक सावधि जमाओं,के वी पी, एन एस सी, IBP ,स्वर्ण/रजत आभूषणों के विरुद्ध, वेयर हाउस रसीदों के विरुद्ध मांग ऋण अथवा अधिविकर्ष सीमा	निरंक	स्वर्ण आभूषण के विरुद्ध माँग ऋण पर:- अ) BIS हॉलमार्क JEWELLARY/ORNAMENTS एवं बैंको द्वारा बेचे गये सोने के सिक्के स्वीकृत ऋण सीमा का 0.50%+ सेवाकर न्यूनतम रु. 250/- + सेवाकर अधिकतम रु. 500/-+ सेवाकर ब) बिना हॉलमार्क JEWELLARY/ORNAMENTS 1. रु.25000/- तक ऋण रु. 250/ प्रति आवेदन+ सेवाकर 2. रु.25000/- से अधिक ऋण ऋण सीमा का 0.50% + सेवाकर अथवा रु. 500/ + सेवाकर जो भी अधिक हो एवं बैंक सावधि जमाओं, के वी पी, एन एस सी, IBP, वेयर हाउस रसीदों के विरुद्ध मांग ऋण अथवा अधिविकर्ष सीमा पर:- निरंक
2.2	SGSY/PMEGP एवं अन्य शासकीय योजना के समस्त ऋण (व्यक्तिगत /स्व सहायता समूह)	अ) रु 200000/- रु दो लाख तक व्यक्तिगत ऋण निरंक रु. 200000/- से अधिक योजना अनुसार ब) रु. 1000000/- (रु.दस लाख तक) शासकीय योजनान्तर्गत समूह को दिये ऋण:- निरंक रु. 1000000/- से अधिक योजना अनुसार	यथावत
2.3	लिमिट आधारित खातों हेतु:-कृषि सेवा व्यवसाय लघुउद्योग एवं ग्रामीण शिल्पकार दस्तकार हेतु ऋण (CC,KCC,SBCC,SCC)ऋण की नवीन स्वीकृति एवं वार्षिक समीक्षा पर प्रति वर्ष देय	अ) रु.25000/- तक निरंक KCC रु. 300000/- सीमा तक निरंक (परिपत्र क्र. अग्रिम 2012-13/क्र.15 दि. 29.11.12) ब) रु. 25001/- से रु. 200000/- तक रु. 500/- प्रति वर्ष स) रु. 200000/- से अधिक या उसके किसी अंश पर स्वीकृत ऋण राशि का 0.30 प्रतिशत	अ) रु.25000/- तक निरंक KCC रु. 300000/- तक सीमा तक निरंक (परिपत्र क्र. अग्रिम 2012-13/क्र.15 29.11.12) ब) रु. 25001/- से रु. 200000/- तक रु. 550/- प्रति वर्ष + सेवाकर स) रु. 200000/- से अधिक या उसके किसी अंश पर स्वीकृत ऋण राशि का 0.35 प्रतिशत+ सेवाकर

2.4	भवन ऋण / कार ऋण	कार ऋण :- स्वीकृत ऋण राशि का 0.51 प्रतिशत भवन ऋण :- स्वीकृत ऋण राशि का 0.25 प्रतिशत न्यूनतम रु. 500/-	कार ऋण :-स्वीकृत ऋण राशि का 0.50 प्रतिशत+ सेवाकर न्यूनतम रु.950/+ सेवाकर अधिकतम रु.9100./+ सेवाकर भवन ऋण :- स्वीकृत ऋण राशि का 0.35 प्रतिशत न्यूनतम रु. 2000/- + सेवाकर एवं अधिकतम रु. 10000/- + सेवाकर
2.5	शिक्षा ऋण	निरंक (IBA के निर्देशानुसार)	निरंक (IBA के निर्देशानुसार)
2.6	सावधि (मियादी) ऋण हेतु अप्रेंट फीस* भंडारगृह/शीतगृह निर्माण ऋण, परिवहन चालको,कृषि ,सेवा, व्यवसाय ,उद्योग वैक्तिक/उपभोक्ता हेतु सावधि ऋणों पर *सावधि ऋण पर प्रोसेसिंग फीस लागू नहीं होगी। इसके स्थान पर अप्रेंट फीस वसूल की जाएगी।	अ) रु.25000/- तक निरंक ब) रु. 25000/ से अधिक ऋण राशि पर स्वीकृत ऋण राशि का 1.25 प्रतिशत(एक बार)	अ) रु.25000/- तक निरंक ब) रु. 25000/- से अधिक ऋण राशि पर स्वीकृत ऋण राशि का 1.25 प्रतिशत(एक बार)+ सेवाकर स) रु.200000/- (रु. दो लाख) से अधिक ऋण राशि पर स्वीकृत ऋण राशि का 1.30% + सेवाकर
3	खाता रख रखाव /लेजर फोलियो चार्ज		
3.1	रु.25000/- से अधिक के CC लिमिट, SBCC बैंक जमाओं, KVP, NSC, जीवन बीमा पालिसी के विरुद्ध लिमिट एवं क्लीन ओडी लिमिट प्रकरणों हेतु।	निरंक	निरंक
3.2	बैंक गारंटी जारी करना	2.10% Per Annum(P.A.) प्रतिवर्ष न्यूनतम रु. 500/-	2.20% Per Annum(P.A.) प्रतिवर्ष न्यूनतम रु. 600/- + सेवाकर (100% नकद जमाओ के विरुद्ध जारी की जाने वाली बैंक गारंटी पर प्रभावी दर का 25% शुल्क + सेवाकर देय होगा

3.3	कैश क्रेडिट लिमिट कमिटमेंट चार्ज	अ) यदि औसत उपयोग 75% से अधिक है तो : निरंक ब) यदि औसत उपयोग 50% से 75% के बीच है तो : अनुपयोग की गयी सीमा पर तिमाही आधार पर - 0.25% स) यदि औसत उपयोग 50% से कम है तो : अनुपयोग की गयी सीमा पर तिमाही आधार पर - 0.50%	अ) यदि औसत उपयोग 75% से अधिक है तो : निरंक ब) यदि औसत उपयोग 50% से 75% के बीच है तो : अनुपयोग की गयी सीमा पर तिमाही आधार पर - 0.25% + सेवाकर स) यदि औसत उपयोग 50% से कम है तो : अनुपयोग की गयी सीमा पर तिमाही आधार पर - 0.50% + सेवाकर
4	PERSONAL SEGMENT SERVICE CHARGE		
4.1	दो पहिया वाहन		स्वीकृत ऋण सीमा का 1.25% + सेवाकर न्यूनतम रु. 250/ + सेवाकर अधिकतम रु.500/ + सेवाकर
4.2	अचल सम्पत्ति बंधक रख कर ऋण	अपफ्रंट 1.25%	स्वीकृत ऋण सीमा 1.80% + सेवाकर अधिकतम रु 45330/ + सेवाकर
4.3	RENT PLUS	अपफ्रंट फीस रु. 25000/- तक निरंक रु. 25000/- से अधिक, स्वीकृत ऋण सीमा का 1.25% (एक बार)	स्वीकृत ऋण सीमा का 1.80% + सेवाकर अधिकतम रु 90660/+ सेवाकर
वर्तमान में सेवाकर की दर 14.50% है।			